झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण
भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमाँझी), राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 08/2016–17 (महिष माँस)
<u>द्वितीय चक्र</u>

मांसाहारी वन्यप्राणियों के आहार हेतु महिषमांस की आपूर्ति के लिए निविदा शर्त्ते (यथा प्रासंगिक)

संविदा अवधि : दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

1. भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमाँझी), राँची में मांसाहारी वन्यप्राणियों के लिए आहार हेतु महिषमांस की आपूर्ति उपर दर्शाए गए अवधि में लेने हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएं सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम से आमंत्रित की जाती है। आहार सामग्री का विवरण, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD का विवरण निम्नवत है :

	सामग्री	निविदा प्रपत्र का मूल्य	EMD
ग्रूप ''ख'' :	महिषमाँस (हड्डी रहित एवं हड्डी सहित)।	2500.00	65000/–

2. EMD की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण राँची के पक्ष में निर्गत तथा किसी राष्ट्रीय बैंक में भुगतेय हो अथवा स्वयं के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, के रूप में होना अनिवार्य है।

3. निविदा प्रपत्र (निविदा शर्त्तें एवं प्रपत्र) सदस्य सचिव के चकला (ओरमाँझी) स्थित कार्यालय से दिनांक **23.03.2017** से दिनांक **27.03.2017** तक कार्यालय अवधि के दौरान विहित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता दिनांक **27.03..2017** के अपराह्न **5.00** बजे तक उद्यान के मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में निविदा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे। निविदादाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे निविदा मुहरबंद लिफाफा में डालें जिसके आवरण पर **''मांसाहारी वन्यप्राणियों के लिए महिषमांस की आपूर्ति हेतु निविदा''** अंकित हो।

4. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं दिनांक **28.03.2017** के पूर्वा0 **11.00** बजे डोरण्डा स्थित पलाश सभागार में खोली जाएँगी जिस दौरान निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकार–पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई निविदादाता अथवा उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा तथा निविदा मान्य होगा।

5. निविदादाता अपनी निविदा में साफ–साफ शुद्ध दर (कर छोड़कर) अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना अनिवार्य है। अंकित शुद्ध दर उद्यान के आहार गोदाम में सामग्री पहुँचा कर होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त व्यय राशि शामिल नहीं होगा। नियमानुसार सामग्री पर जो कर देय होगा उसे निविदा प्रपत्र के विहित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा और यदि किसी सामग्री पर कर देय नहीं हो तो ''कर मुक्त'' लिखना होगा।

6. निविदादाता ऐसी दर अर्पित करेंगे जिसपर पूरी संविदा अवधि में गुणवत्तापूर्ण महिषमाँस की आपूर्ति वे कर सकें।

लगातार ....

7. निविदादाता को महिषमाँस आपूर्ति करने हेतु उपायुक्त, राँची/राँची नगर निगम अथवा जो भी सक्षम हों उनसे महिषमाँस निर्धारित स्थान पर काटने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र, जिसमें महिषमाँस काटने की वैधता–अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो, उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के लिए आवेदन किया गया हो तो आवेदन करने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. निविदादाता को संबद्ध वार्ड कमिश्नर/मुखिया द्वारा निर्गत अपने व्यवसाय–स्थल का सम्पुष्टि प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।

10. **कार्य अनुभव : निविदादाता द्वारा पूर्व में झारखण्ड राज्य के भीतर किसी सरकारी प्रतिष्ठान में महिषमाँस की आपूर्ति किये जाने से संबंधित उस प्रतिष्ठान के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कार्य अनुभव के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायगा कि अमुक वर्ष में निविदादाता द्वारा महिषमाँस की आपूर्ति का कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया है।**

11. निविदा प्रपत्र में निविदादाता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्त्तों को पढ़ा और समझा है तथा वे सभी शर्त्तों को स्वीकार करतें हैं।

12. सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनुमानित वार्षिक आपूर्ति की कुल राशि का 10% (दश प्रतिशत) जमानत राशि विहित रूप में जमा करते हुए संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा सदस्य सचिव, कार्यकारणी समिति, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पक्ष में निर्गत बैंक गारंटी अथवा निविदादाता के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो सदस्य सचिव, कार्यकारणी समिति, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, के रूप में जमा करना होगा।

13. आपूर्ति किए जाने वाले आहार सामग्री की आवश्यकता (वजन/मात्रा) में समय–समय पर परिवर्तन (घट–बढ़) हो सकता है जिसकी यथा आवश्यकता आपूर्ति सफल निविदादाता (आपूर्तिकर्ता) को करनी होगी।

14. सफल निविदादाता (आपूर्तिकर्ता) को उच्च कोटि के सामग्री की आपूर्ति करनी होगी तथा किसी भी हालत में खराब गुणवत्ता की सामग्रियों की आपूर्ति नहीं ली जाएगी। महिषमांस की आपूर्ति हर हाल में प्रतिदिन 11.30 बजे पूर्वा. से पूर्व आहार गोदाम में करनी होगी।

15. आपूर्तिकर्ता द्वारा खराब गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करते पाए जाने पर सदस्य सचिव को यह अधिकार होगा कि वे आपूर्तिकर्ता पर यथोचित अर्थदण्ड लगाएँ जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता का किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

16. संबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा की निर्धारित अवधि तक यदि सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है तो वैसी परिस्थिति में सदस्य सचिव को पूर्ण अधिकार होगा कि वे आपूर्तिकर्ता की जमानत राशि को राज्यसात कर लें जिस पर आपूर्तिकर्ता का किसी प्रकार का दावा अथवा अनुरोध मान्य नहीं होगा।

17. निविदादाता को अपना पत्राचार का पूरा पता साफ–साफ निविदा प्रपत्र पर अंकित करना अनिवार्य है तथा उस पता पर किया गया पत्राचार निविदादाता को सभी प्रयोजनार्थ मान्य होगा।

18. यदि आपूर्तिकर्ता सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय पर एवं आवश्यक मात्रा में नहीं करता है अथवा खराब गुणवत्ता के सामग्री की आपूर्ति करता है तो वैसी हालत में उन सामग्री का क्रय आवश्यक मात्रा में विभागीय रूप से खुले बाजार से कर ली जाएगी तथा बाजार से क्रय करने में अनुमोदित दर से जो भी अधिक राशि खर्च होगी उसकी वसूली परिवहन खर्च के साथ आपूर्तिकर्ता के विपत्र से कर ली जाएगी।

लगातार ....

19. आपूर्तित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा के संबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर निर्णय त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसके सदस्य सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं उद्यान के पशु चिकित्सक रहेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय यदि आपूर्तिकर्ता को मान्य नहीं होगा तो वैसी हालत में अंतिम निर्णय सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा जो आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा।

20. किसी भी हालत में स्वीकृत निविदा के दर में कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा।

21. आपूर्तिकर्ता को अपनी स्वीकृत निविदा अथवा इसका कोई भी अंश किसी दूसरे को देने को अधिकार नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता यदि चाहे तो सामग्री की आपूर्ति के लिए मात्र एक ऐजेन्ट नियुक्त कर सकता है जिसकी स्वीकृति सदस्य सचिव से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

22. आपूर्तिकर्ता सामग्री की आपूर्ति आहार गोदाम पर करेंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद पाँच प्रतियों में तैयार कर आहार गोदाम प्रभारी से हस्ताक्षर कराएँगे जिसकी एक प्रति आहार गोदाम प्रभारी के पास रहेगा, एक प्रति आपूर्तिकर्ता स्वयं रखेगें तथा शेष तीन प्रतियों को आपूर्तिकर्ता अपने विपत्र के साथ संलग्न करेंगे।

23. आपूर्तिकर्ता प्रत्येक माह में आपूर्ति की गयी सामग्री का विपत्र अगले माह की पाँच तारीख तक आहार गोदाम प्रभारी को भुगतान हेतु समिर्पित करेंगे। विपत्रों का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने पर ही किया जाएगा।

24. निविंदा की ऐसी शर्तें जिनके उल्लंघन के लिए दंडात्मक/निवारक प्रावधान अंकित नहीं है, वैसी शर्तों का सफल निविदादाता (आपूर्तिकर्ता) द्वारा उल्लंघन किए जाने पर सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि वे स्वविवेकानुसार दोषी आपूर्तिकर्ता पर यथोचित अर्थदंड लगाएँ अथवा जमानत की राशि राज्यसात करते हुए संविदा रद्द कर दें।

25. यदि आवश्यक हो तो निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सदस्य सचिव के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यावधि के दौरान सम्पर्क स्थापित कर निविदा के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा शंका निवारण किया जा सकता है।

26. सदस्य सचिव को यह अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को अस्वीकृत कर दें।

ह0/–
सदस्य सचिव
झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण